	पक्षकारान उप।
	कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया है अतः जवाब अप्रार्थीगण 1 से 8, 10, 11 का बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि 24.9.24 को पेश हो।
24.9.24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी एकतरफा वकील प्रार्थी की सुनवाई हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया निर्णय पृथक से लिखाया जा सुनाया गया एवं आ-पत्रा. किया।
	पत्रावली मिसल हुक्म की तामील बाद तकमील मूल बाद दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 12/2019 तारीख दायरा 30.05.2019

उनवान

अब्दुल सलीम पुत्र बशीरूद्दीन निवासी सांगोद तहसील सांगोद। – प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुल सईद पुत्र बशीरूद्दीन,
2. आरिफ हुसैन पुत्र अब्दुल कयूम,
3. इकबाल पुत्र बशीरूद्दीन,
4. जुबेदा पुत्री बशीरूद्दीन,
5. जाहिदा पुत्री बशीरूद्दीन,
6. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल कय्यूम,
7. रूकसाना पुत्री अब्दुल कय्यूम,
8. रूस्तम अली पुत्र अहमद,
9. रियाना पुत्री अब्दुल कयूम,
10. शरीफन पत्नि अब्दुल कय्यूम, निवासीगण अन्डा मार्केट सांगोद तहसील सांगोद।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – आप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थी) दिनांक :– 24.09.2024

श्री किशोरीलाल चौधरी (वकील अप्रार्थीगण)

–– निर्णय ––

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तह0 सांगोद में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की खसरा सं0 1766 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा सं0 1767 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा सं0 1768 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा सं0 1769 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा सं0 1770 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा सं0 1793 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा सं0 1794 रकबा 3.70 हैक्टेयर, खसरा सं0 2276 रकबा 2.03 हैक्टेयर, कुल 8 किता की 9.40 है. आराजीयात स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित है किन्तु कब्जा समस्त पक्षकारान का संयुक्त ही चला आ रहा है। वर्तमान में भूमि का विभाजन नहीं हुआ है तथा अप्रार्थीगण विवादित भूमि को बिना विभाजन करवाये खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विरूद्व अप्रार्थीगण ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को किसी प्रकार से रहन, बेचान, हिबा आदि कर हस्तांतरित नहीं करे और भूमि किस्म में ताफैसला वाद तब्दीली नहीं करने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 एवं 10 की ओर से वकील अधिवक्ता श्री किशोरीलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 9 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं. 9 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं 1 ता 8 एवं 10, 11 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण में जवाब बंद किया गया। इसके उपरान्त पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात, साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नकल जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड आदि प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने में समर्थ रहा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तह0 सांगोद की खसरा सं0 1766 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा सं0 1767 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा सं0 1768 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा सं0 1769 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा सं0 1770 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा सं0 1793 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा सं0 1794 रकबा 3.70 हैक्टेयर, खसरा सं0 2276 रकबा 2.03 हैक्टेयर, कुल 8 किता की 9.40 है. आराजीयात में ताफैसला वाद 29/2019 अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को किसी प्रकार से रहन, बेचान, हिबा आदि कर खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत–मजामहत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट से करावें।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner